उत्तर प्रदेश शासन

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, अनुभाग-2

संख्या-09/2019/901/94-स्टा०नि०-2-2019-500(97)/08

लखनऊ : दिनांक 15 नवम्बर, 2019

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 10, 74 और 75 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ई-स्टाम्पिंग नियमावली, 2013 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं:-

उत्तर प्रदेश ई-स्टाम्पिंग (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2019

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश ई-स्टाम्पिंग (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2019 कही जाएगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 13 का संशोधन

2- उत्तर प्रदेश ई-स्टाम्पिंग नियमावली, 2013 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 13 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्

स्तम्भ-1 **विद्यमान नियम**	**स्तम्भ-2** **एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम**
13- प्राधिकृत संग्रह केन्द्र की नियुक्ति के लिए प्रात्रता मानदण्ड-नियम 12 के अधीन नियुक्ति प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के अध्याधीन रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के नियन्त्रणाधीन कोई अनुसूचित बैंक, कोई वित्तीय संस्था अथवा उपक्रम अथवा सरकार द्वारा नियन्त्रित कोई वित्तीय संस्था अथवा उपक्रम अथवा डाकघर प्राधिकृत संग्रह केन्द्र के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।	13- प्राधिकृत संग्रह केन्द्र की नियुक्ति के लिए पात्रता का मानदण्ड- नियम 12 के अधीन नियुक्ति प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन भारतीय रिजर्व बैंक के नियन्त्रणाधीन कोई अनुसूचित बैंक, कोई वित्तीय संस्था अथवा उपक्रम अथवा सरकार द्वारा नियन्त्रित कोई वित्तीय संस्था अथवा उपक्रम अथवा डाकघर अथवा उत्तर प्रदेश स्टाम्प नियमावली, 1942 के अधीन अनुज्ञप्ति धारक और स्टाम्प आयुक्त उत्तर प्रदेश द्वारा विहित शैक्षिक अर्हता धारक स्टाम्प विक्रेता, प्राधिकृत संग्रह केन्द्र के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

आज्ञा से

वीना कुमारी
प्रमुख सचिव।

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

संख्या- /2019/901/94-स्टा०नि०-2-2019-500(97)/08, दिनांक 15 नवम्बर, 2019

प्रतिलिपि हिन्दी तथा अंग्रेजी, अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक राजकीय मुद्रणायल, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे इसे दिनांक 15 नवम्बर, 2019 के असाधरण गजट के भाग-4 के खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की सौ प्रतियां स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(देवेन्द्र कुमार सिंह कुशवाहा)
विशेष सचिव।

संख्या- /2019/901/94-स्टा०नि०-2-2019-500(97)/08, दिनांक 15 नवम्बर, 2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, लेखापरीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय), उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. आयुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद/महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश सूचना निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त उपायुक्त स्टाम्प/उप महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त सहायक आयुक्त स्टाम्प/सहायक महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश।
11. विधायी अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
12. भाषा अनुभाग-5 उत्तर प्रदेश शासन।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र कुमार सिंह कुशवाहा)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

UTTAR PRADESH SHASAN

STAMP EVAM REGISTRATION ANUBHAG-2

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification No.09/2019/901/94-S.R.-2-2019-500(97)/08, Dated, 15 November, 2019.

NOTIFICATION

NO.09/2019/901/94-S.R.-2-2019-500(97)/08

Lucknow, Dated, 15 November, 2019

In exercise of the powers under sections 10, 74 and 75 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended in its application to Uttar Pradesh read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no 10 of 1897), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh E-Stamping Rules, 2013:

THE UTTAR PRADESH E-STAMPING (FIRST AMENDMENT) RULES, 2019

Short title and commencement

1- (1)These rules may be called the Uttar Pradesh E-Stamping (First Amendment) Rules, 2019

(2)They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

Amendment of rule 13

2- In the Uttar Pradesh E-Stamping Rules, 2013, for rule 13 set out in column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely

Column-I Existing rule	Column-II Rule as hereby substituted
13- Eligibility criteria for appointment of Authorized Collection Center-Any Scheduled Bank, any Financial Institution or undertaking controlled by the Reserve Bank of India or the Financial Institution or Undertaking	13-Eligibility Criteria for appointment of Authorized Collection Center-Any Scheduled Bank, any Financial Institution or undertaking controlled by the Reserve Bank of India or the Financial Institution or Undertaking controlled by the Government, or a Post Office or a stamp vendor having license under Uttar Pradesh Stamp Rules, 1942, and Possessing

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

controlled by the Government, or a Post Office will be eligible for appointment as Authorized Collection Center, subject to prior approval of the Appointing Authority under rule 12.

educational qualifications prescribed by the Stamp Commissioner, Uttar Pradesh will be eligible for appointment as Authorized Collection Center, subject to the prior approval of the Appointing Authority under rule 12.

By order,

Veena Kumari
Pramukh Sachiv.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**
2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**